न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 39 / 2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 भोमाराम 2 खेमाराम 3 धर्माराम पिसरान तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी जोगेश्वर कुआ, गरल 4 धनी देवी पुत्री तिलोकाराम पत्नी श्रवण कुमार जाति मेघवाल निवासी धाराणियों की ढाणी, सरली 5 चन्दन वर्मा पुत्री तिलोकाराम पत्नी भोमाराम जाति मेघवाल निवासी बांकासरा, सरली तहसील व जिला बाडमेर।		1 तिलोकाराम पुत्र नन्दराम जाति मेघवाल निवासी जोगेश्वर कुआ (गरल) तहसील व जिला बाडमेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री वीरमाराम चौधरी वकील वादीगण।
2. श्री प्रवीण चौधरी वकील प्रतिवादी।

निर्णय

दिनांक 20.08.19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 नन्दराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा जोगेश्वर कुआ (गरल) पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 337 रकबा 19.01 बीघा एवं मौजा गरल रायसिंह (गरल) पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 247 / 98 रकबा 05.16 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि नन्दराम के देहान्त के पश्चात तिलोकाराम के नाम दर्ज हुई। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 तिलोकाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी भीखाराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी तिलोकाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण प्रत्येक का भी 1/6–1/6 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी सहखातेदार घोषित कर 1/6–1/6 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादीगण द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी भीखाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा घोषित किया जावे।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी दोबस्त सम्वत् 2070 से 2073 व 2072 से 2075 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जोगेश्वर कुआ (गरल) पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 337 रकबा 19.01 बीघा एवं मौजा गरल रायसिंह (गरल) पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 247/98 रकबा 05.16 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी तिलोकाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी भीखराम प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर
सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 28.06.19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर
सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner